न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल ग्वालियर केम्प सागर संभाग सागर

1– गोपाल दास तनय राजाराम ब्राम्हण , नि.ग. 1296- II-16

2– राधाचरण पिता राजाराम तिबारी ,

3– रामदयाल पिता राजाराम तबारी ,

सभी निबासी– ग्राम डुम्बार, तह0 वल्देवगढ़, जिला टीकमगढ़,

.............आवेदकगण

वनाम

1– रामकंकन तनय राजाराम तिबारी

2– सुरेश प्रसाद तनय तुलसीदास तिबारी ,

3– महेश प्रसाद पिता तुलसीदास तिबारी

सभी निबासी– ग्राम डुम्बार, तहसील वल्देवगढ़, जिला टीकमगढ़

.... अनावेदकगण

निगरानी आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 50 म0 प्र0 भू0 रा0 संहिता :–

आवेदक की ओर से निम्न प्रार्थना है :–

1– यह कि आवेदकगण यह निगरानी न्यायालय श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय वल्देवगढ़, जिला टीकमगढ़ द्वारा प्र0 क0 189/अपील/2010–11 में पारित आदेश दिनांक 13/10/2011 से परिवेदित होकर कर रहा है, जो समयसीमा में ना होने से धारा 05 म्याद अधिनियम का आवेदनपत्र संलग्न है।

2– यह कि प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि, रिस्पॉ0 गण द्वारा एक अवधि वाधित अपील ग्राम डुम्बार की नामांतरण पंजी कमांक 131 आ0 दि0 15/09/1987 से परिवेदित होकर करीब 25 साल बाद अनुविभागीय अधिकारी बल्देवगढ़ के समक्ष प्रस्तुत की थी, जो कि उनके द्वारा विधि विरूद्व तरीके से स्वीकार करके उपरोक्त पंजी पर पारित आदेश दिनांक 15/09/1987 निरस्त करके प्रकरण पुनः सुनवाई वावद तहसीलदार के समक्ष प्रत्यावर्तित कर दिया। जिससे परिवेदित होकर एक निगरानी न्यायालय अपर कलेक्टर टीकमगढ़ के न्यायालय में अपने अधिवक्ता के माध्यम से प्रस्तुत करवाई थी, जो

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक :— निगरानी—1296—दो/2016 जिला—टीकमगढ़

गोपालदास आदि विरूद्ध रामकंकन आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
22-08—2019	प्रकरण का अवलोकन किया गया । यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी बल्देवगढ़, जिला—टीकमगढ़ के प्रकरण क्रमांक 189/अपील/2010—11 में पारित आदेश दिनांक 13—10—2011 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू—राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 27—07—2018 को हुये नवीन संशोधन के प्रभावशील दिनांक 25—9—2018 के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(क) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला—टीकमगढ़ के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 04—11—2019 को कलेक्टर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। (जे0के0 जैन) सदस्य	